



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2020

वैशाख 4, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 362/ग्यारह-2-9(42)-17-उ०प्र० जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश(101)-2020

लखनऊ, 24 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

प०आ०-105

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सैतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सैतीसवाँ संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2020 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यह गजट में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, नियम 31क में, नियम 31क में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम, तारीख 1 मार्च, 2020 से रख दिया जायेगा, संशोधन अर्थात् :-

“(2) लाटरी की पूर्ति का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य अथवा आयोजनकर्ता राज्य द्वारा सरकारी गजट में यथा अधिसूचित कीमत, जो भी अधिक हो, का 100/128 समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद 'आयोजनकर्ता राज्य' का वही अर्थ होगा जो लाटरी (विनियमन) नियम, 2010, के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (च) में समनुदेशित है।"

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 362/XI-2-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(101)-2020, dated April 24, 2020 :

No. 362/XI-2-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(101)-2020

Dated Lucknow, April 24, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (THIRTY SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Thirty Seventh Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 31A

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 31A, for sub-rule (2), with effect from the 1st March, 2020, the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) The value of supply of lottery shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the *Official Gazette* by the Organising State, whichever is higher.

Explanation :- For the purposes of this sub-rule, the expression 'Organising State' has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010."

By order,
ALOK SINGHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 56 राजपत्र-2020-(108)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० राज्य कर-2020-(109)-3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।